

पी. एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय सिवनी

कक्षा ग्याहरवी कॉमर्स मे अनंतिम चयनित / Provisional Selected विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची:-

1. विधिवत भरा हुआ प्रवेश फॉर्म जिसपर बच्चे की फोटो चिपकी हो / Duly filled in Admission Form (Admission Form विद्यालय से प्राप्त करें)
2. बच्चे का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (बच्चे की जातिनुसार लागू)
(बच्चे का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध ना होने की स्थिति मे, माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक का SC / ST / OBC - Non Creamy Layer का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जमा करे और इसके साथ-साथ अभिभावक वचन पत्र लिखकर दे कि वह बच्चे के नाम का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कर देगा)
(वचन पत्र के प्रपत्र को विद्यालय से प्राप्त करें)
3. बच्चे की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट / Blood group report of child
4. बच्चे का आधार कार्ड / Aadhar Card of child
5. बच्चे की समग्र आई डी / SSID of child
6. बच्चे की अपार आई डी / APAAR ID of child
7. बच्चे का PERMANENT EDUCATION NUMBER / PEN of child
8. बच्चे, माता एवं पिता तीनों की ई-मेल आई डी / E-mail ID of child, mother and father (अभिभावक बच्चे की APAAR ID, बच्चे का PERMANENT EDUCATION NUMBER और बच्चे, माता एवं पिता तीनों की ई-मेल आई डी / E-mail ID को एक पृथक पृष्ठ पर लिखकर देवे)
9. बच्चे या अभिभावक के बैंक खाता की पास बुक की प्रति / Copy of Bank account passbook of child or parent
10. अभिभावक का आय प्रमाण पत्र / Income certificate of parent.
अभिभावकगण इनमे से कोई भी एक प्रमाण प्रस्तुत करें - Form 16 या Income tax return acknowledgement या तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज सुविधानुसार 1
11. इकलौती कन्या संतान के प्रवेश की स्थिति मे, अभिभावक को उपरोक्त लागू दस्तावेजों के अतिरिक्त, इकलौती कन्या संतान के शपथ-पत्र की मूल प्रति को जमा करना होगा। शपथ-पत्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एवं First Class Judicial Magistrate / SDM / Executive Magistrate (परंतु तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हो) के द्वारा प्रमाणित / attested होना चाहिए 1
नोट - अभिभावक दस्तावेजों की स्पष्ट रूप से पठनीय स्व-प्रमाणित प्रतियों को उपरोक्त क्रमानुसार ही जमा करें। प्राचार्य